रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-16/2009/36/स्था.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मत्स्योद्योग संचालनालय में चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती के तरीके तथा विस्तार के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** – (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग विकास चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2009" कहलायेंगे ।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** – ये नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि** – सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती का तरीका, आयु सीमा और अन्य विषय अनुसूची के कॉलम (3) से (12) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होंगे।

4. **आरक्षण** – (1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण – सीधी भर्ती के पदों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार आरक्षण रहेगा।

   (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा।

   (3) महिलाओं के लिए आरक्षण, – महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा एवं पदो में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा।

5. **व्यावृत्ति** – इन नियमों में की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी की, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के कुटुम्ब के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, आरक्षण तथा शिथिलीकरण को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों या बनाये गये नियमों के अनुसार विनियमित होगी।

6. **निरसन तथा व्यावृत्ति** – इन नियमों के तत्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते है,

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

अनुसूची
सीधी भर्ती हेतु

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिषत	आयु सीमा – न्यूनतम / अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा / परीक्षण की कालावधि यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	पदोन्नति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती की जाने की दशा में पद जिससे पदोन्नति स्थानांतरण किया जावेगा	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मत्स्य जमादार	81 (28 सांख्येत्तर)	चतुर्थ वर्ग	4750–7440	1400	100% सीधी भर्ती द्वारा	18 से 35	5 वी उत्तीर्ण तथा नाव चलाने, जाल बुनने एवं जालों के उपयोग का पर्याप्त अनुभव, तैरना आना चाहिए।	2 वर्ष	कॉलम क्र. 7 से 9 तक	–	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के समस्त पदों के लिये 1. उप संचालक मत्स्योद्योग – अध्यक्ष (मुख्यालय) 2. संभागीय उप संचालक मत्स्योद्योग – सदस्य 3. सहायक संचालक मत्स्योद्योग – सदस्य	–
2	भृत्य	53 (5 सांख्येत्तर)	–तदैव–	–तदैव–	1300	100% सीधी भर्ती द्वारा	18 से 35	5 वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कॉलम क्र. 7 से 9 तक	5 वर्ष निरंतर सेवा		–
3	मछुआ / चौकीदार	104 (27 सांख्येत्तर)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5 वी उत्तीर्ण	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
4	वाहन क्लीनर	04 (सांख्येत्तर)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5वीं उत्तीर्ण, वाहन पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
5	ट्रेक्टर क्लीनर	01 (सांख्येत्तर)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5वीं उत्तीर्ण, वाहन पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
6	परिचारक (अटेण्डेंट)	01 (सांख्येत्तर)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5वीं उत्तीर्ण	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
7	बोटमेन	01 (सांख्येत्तर)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5वीं उत्तीर्ण, नाव चलाने का अनुभव	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
8	प्रयोगशाला परिचारक	02	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	10 वीं उत्तीर्ण	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
9	वाचमेन	01	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5वीं उत्तीर्ण	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–
10	स्वीपर	01	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	5वीं उत्तीर्ण	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–		–

Raipur, the 29th March 2010

No. F 1-16/2009/36/Estt.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the class-IV service in the Directorate of Fisheries, namely;-

RULE

1. **Short title and Commencement-** (1) These rules may be called Chhattisgarh Fisheries Development class-IV service Recruitment Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application :-** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification and Scale of Pay etc. -** The classification of the Service, the number of posts included in the Service, and the scale of pay attached thereto, method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with the provisions contained in column (3) to (12) of the Schedule.

4. **Reservation** - (1) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. - Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994).

(2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) Reservation for women,- Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women in Public Service and Posts) Rules, 1997.

5. **Saving.-** Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes, for Ex-serviceman compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees, who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal and Saving -** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are herby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB KHESS, Deputy Secretary.

SCHEDULE
FOR DIRECT RECRUITMENT

S. No	Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Grade Pay	Method of Recruitment percentage of vacant post to be filled by direct recruitment or by promotion or by transfer and by different methods.	Age limit Minimum Maximum	Prescribed Educational Qualification	Period of Probation/ Trial if any	Whether in the case of promotion prescribed age limit and education qualification to the direct recruitment will be apply.	In case of recruitment by promotion or transfer post from which promotion transfer will be made.	Selection Committee for direct recruitment and promotion	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Fishery Jamadar	81 (28supernum)	Class-IV	4750-7440	1400	100% by Direct Recruitment	18 to 35	5th pass sufficient experience of boating weaving of net and using of net, must know swimming	2 years	Column No. 7 to 9		For all the post of Class-IV category: 1. Deputy Dierctor Fisheries - Chairman (Headquarter) 2. Divisional Deputy Director Fisheries - Member 3. Assistant Director Fisheries - Member	
2	Peon	53 (5 supernum)	---do---	--do--	1300	---do---	---do---	5 th Pass	---do---	---do---	5 years continuous service		
3	Fisherman Chowkidar	104 (27supernum)	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	5 th Pass	---do---	---do---	---do---		
4	Vehicle Cleaner	04 (supernum)	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	5th Pass experience of one year working on the vehicle.	---do---	---do---	---do---		
5	Tractor Cleaner	01 (supernum)	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	5th Pass experience of one year working on the vehicle.	---do---	---do---	---do---		
6	Attendent	01 (supernum)	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	Class 5th passed	---do---	---do---	---do---		
7	Boat man	01 (supernum)	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	5th passed experience boating.	---do---	---do---	---do---		

S. No	Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Grade Pay	Method of Recruitment percentage of vacant post to be filled by direct recruitment or by promotion or by transfer and by different methods.	Age limit Minimum Maximum	Prescribed Educational Qualification	Period of Probation/ Trial if any	Whether in the case of promotion prescribed age limit and education qualification to the direct recruitment will be apply.	In case of recruitment by promotion or transfer post from which promotion transfer will be made.	Selection Committee for direct recruitment and promotion	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Lab Attendant	02	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	10 th Pass	---do---	---do---	---do---	---do---	
9	Waterman	01	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	5th Pass	---do---	---do---	---do---		
10	Sweeper	01	---do---	--do--	---do---	---do---	---do---	5th Pass	---do---	---do---	---do---		

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 31 दिसम्बर 2009

क्रमांक/119/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/3 अ/82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	परसवानी प. ह. नं. 44	0.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द छ. ग.	लोवर जोंक बैराज योजना पहुंच मार्ग एवं बंड लाईन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्रमांक क/ भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	डिटोरी प. ह. नं. 08	0.081	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	कर्रापाली माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 जुलाई 2012—आषाढ़ 16, शक 1934

कृषि (मछली पालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-1/2012/36.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मत्स्योद्योग विकास चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2012 से दो वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

सरल क्रमांक-2 के कॉलम (4) में, शब्द "चतुर्थ श्रेणी" के पश्चात् शब्द "जिला स्तरीय" जोड़ा जाय.

Raipur, the 7th July 2012

NOTIFICATION

No. F-4-1/2012/36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Fisheries Development Department Class-IV Services Recruitment Rules, 2009. This Notification shall come into force from the date of 17th January, 2012, for a period of two years, namely :—

AMENDMENT

In Schedule I of the said rules,—

In column (4) of serial number 2, after the words "Class-IV" the words "District Level" shall be added.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.